न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 163 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 369

अनवान

1. पारसकंवर पत्नि दुर्गासिंह राजपूत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पुत्र प्यारचन्द्र कुमावत निवासी खुटियांखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रभुलाल पुत्र प्यारचन्द्र कुमावत निवासी खुटियांखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रतनलाल पुत्र पन्नालाल कुमावत निवासी खुटियांखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गंगा पत्नि नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नेनु पुत्री नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. प्रहलाद पुत्र नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बंशीलाल पुत्र नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लादी पुत्री नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शान्तिलाल पुत्र नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. प्यारा पुत्र सालग माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत्)

उपस्थित

1. हरिश चन्द टेलर – प्रार्थी अधिवक्ता
2. मुकेश कुमार चौधरी – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 लगायत 3
3. विपक्षी संख्या 4 लगायत 10 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 18/12/25

1. संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खुटियां पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1175 / 781 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 1179 / 814 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 100 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नक्शा ट्रेस मय जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 की पेश की है।
2. प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुस्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी

आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 31.07.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीया की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

3. प्रार्थीया के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 4 लगायत 10 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही दिनांक 6-11-25 को अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार चौधरी उपस्थित होकर आपत्ति मय जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

4. विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 का न्यायालय में पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 73/14 है जिसके पत्थरगढ़ी आदेश दिनांक 08.10.2020 को हुआ जिसकी पालना की गई, जिसकी पालना रिपोर्ट शीघे से तलब किया जाना आवश्यक है, इसलिए न्यायहित में तलब की जावे। साथ ही प्रार्थीया की ओर से तथ्य छुपाकर दुबारा प्रार्थन पत्र पेश किया जो खारीज योग्य है। प्रार्थीया की आराजियात के चारो तरफ सीमांकन बिन्दुओ पर सीमा चिन्ह लगाये गये और कब्जा सिर्पूद किया गया फिर भी तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारीज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पूर्व में की गई पत्थरगढ़ी की पालना रिपोर्ट शीघे से तलब की जावे व विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों को स्वीकार किया जावे व प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

5. प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खुटियां पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1175/781 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 1179/814 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 100 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।

6. विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजियात की पूर्व में पत्थरगढ़ी करवायी गई जिसके तथ्य छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

7. न्यायालय ने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम खुटियां पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1175/781 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 1179/814 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 100 पर दर्ज रेकार्ड है।, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीया संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीया हकदार प्रतीत होते है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे प्रमाणित होता हो कि पूर्व में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी की जा चुकी है। दिनांक 08.10.2020 को किए गए पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध नही कराई गई, जिससे उक्त आदेश की पालना अपूर्ण मानी जानी चाहिए। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

::– आदेश –::

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खुटियां पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1175/781 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 1179/814 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 100 पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 1000/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 2000/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 18/12/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 163/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/369

अनवान

1. पारसकंवर पत्नि दुर्गासिंह राजपूत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पुत्र प्यारचन्द्र कुमावत निवासी खुटियांखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रभुलाल पुत्र प्यारचन्द्र कुमावत निवासी खुटियांखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रतनलाल पुत्र पन्नालाल कुमावत निवासी खुटियांखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गंगा पत्नि नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नेनु पुत्री नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. प्रहलाद पुत्र नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बंशीलाल पुत्र नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लादी पुत्री नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शान्तिलाल पुत्र नाराण माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. प्यारा पुत्र सालग माली निवासी खुटियां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

दिनांकः– 18/12/25

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 18-12-25 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खुटियां पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1175/781 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 1179/814 रकबा 0.43 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 100 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 1000/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 2000/–रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 18/12/25 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा